

(समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,

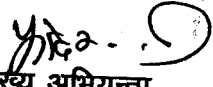
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: प.()/मु.अ./चि.एवं.स्वा./2012-13/696

दिनांक: 13.07.2012

निविदा सूचना संख्या: 10/2012-13

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न स्थानों पर 33 पैकेजों के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के एए. ए. बी. श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदाये आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेब साईट www.dipronline.Org, <http://eproc.rajasthan.gov.in> व विभागीय वेब साईट <http://rajswasthya.nic.in> पर देखा जा सकता है।


मुख्य अभियन्ता

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
जयपुर।

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

सी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: प.()/मु.अ./चि.एवं.स्वा./2012-13/696

फोन:- 0141-5110736

फैक्स:- 0141-5110736

दिनांक:- 13.07.2012

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना - 10/2012-13

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न स्थानों पर मय पांच साल की दोष निवारण अवधि के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के एए., ए. व बी. श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	घरोहर राशि (रु. लाखों में)	निविदा शुल्क (रु. में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	संबंधित अधिशाषी अभियन्ता, कार्यालय	ऑन लाईन निविदा खोलने का कार्यालय
1.	अलवर	जिला चिकित्सालय अलवर में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	85.00	1.70	1000	9 माह	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अलवर	अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर
2.	दौसा	जिला चिकित्सालय दौसा में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	78.00	1.56	1000	9 माह	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अलवर	अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर
3.	सीकर	जिला चिकित्सालय सीकर में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	78.00	1.56	1000	9 माह	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सीकर	अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर
4.	झुंझु	जिला चिकित्सालय झुंझु में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	78.00	1.56	1000	9 माह	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सीकर	अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर
5.	चूरु	जिला चिकित्सालय चूरु में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	85.00	1.70	1000	9 माह	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सीकर	अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर
6.	चूरु	उप जिला चिकित्सालय रतनगढ़ (चूरु) में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	78.00	1.56	1000	9 माह	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सीकर	अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर
7.	अजमेर	उप जिला चिकित्सालय किशनगढ़ (अजमेर) में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	52.00	1.04	1000	9 माह	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अजमेर	अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर
8.	अजमेर	जिला चिकित्सालय ब्यावर (अजमेर) में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	85.00	1.70	1000	9 माह	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अजमेर	अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर
9.	टोंक	जिला चिकित्सालय टोंक में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	85.00	1.70	1000	9 माह	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अजमेर	अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर
10.	भीलवाड़ा	जिला चिकित्सालय भीलवाड़ा में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	75.00	1.50	1000	9 माह	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अजमेर	अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर
11.	नागौर	जिला चिकित्सालय नागौर में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	85.00	1.70	1000	9 माह	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अजमेर	अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर
12.	नागौर	उप जिला चिकित्सालय डीडवाना (नागौर) में आवासीय भवनों का	78.00	1.56	1000	9 माह	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अजमेर	अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर

[illegible]

30.	सिरोही	जिला चिकित्सालय सिरोही में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	78.00	1.56	1000	9 माह	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जालौर	अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जोधपुर
31.	गंगानगर	जिला चिकित्सालय गंगानगर में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	78.00	1.56	1000	9 माह	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बीकानेर	अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जोधपुर
32.	हनुमानगढ़	जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	78.00	1.56	1000	9 माह	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बीकानेर	अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जोधपुर
33.	बाड़मेर	जिला चिकित्सालय बाड़मेर में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	78.00	1.56	1000	9 माह	अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जालौर	अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जोधपुर

निविदा प्रपत्रों को वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा कराएँ।

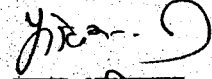
निविदा हेतु पात्र संवेदकों की श्रेणी:-

किसी भी सीमा तक -	:	ए ए श्रेणी संवेदक
रुपये 300 लाख तक	:	ए श्रेणी संवेदक
रुपये 150 लाख तक	:	बी श्रेणी संवेदक
रुपये 50 लाख तक	:	सी श्रेणी संवेदक

1. धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी एवं धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता मेडिकल एण्ड हैल्थ A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी को देय होगी।
2. निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक मंगलवार 7 अगस्त, 2012 समय 9:00 बजे से बुधवार, 22 अगस्त, 2012, सांय 5.00 बजे तक होगी।
3. (अ) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर शुक्रवार, 24 अगस्त, 2012, अपराह्न 2.00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदायें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, के कार्यालय में सोमवार 27, अगस्त 2012 को अपराह्न 3.00 बजे खोली जायेगी।
यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी।
(ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
(स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएँ नहीं खोली जा सकती हैं तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
4. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि तथा आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं बिक्री कर चुकता का प्रमाण पत्र की प्रतियां वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना आवश्यक है।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय में संवेदक द्वारा मंगलवार 7 अगस्त, 2012 समय 9:00 बजे से बुधवार, 22 अगस्त, 2012, सांय 5.00 बजे तक बजे तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर भी देखे जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग, विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।
6. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक द्वारा सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता मेडिकल एण्ड हैल्थ A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी, के पक्ष में बनाया जायेगा। निविदा शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय में सोमवार 27, अगस्त 2012 अपराह्न 1.00 बजे तक जमा कराया जा सकेगा।
7. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

8. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बन्धित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
9. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहा सेवाएं लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
10. निविदादाता इन प्रपत्रों को Download कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है।
11. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। अतः पी.डब्ल्यू.ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होंगी।
12. संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिये निर्धारित मशीनरी जो निविदा की स्पेशल कंडीशन में वर्णित है, को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
13. निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:-

कार्य की अनुमानित राशि	:	निविदा शुल्क
50 लाख से कम	:	500/- रुपये
50 से 150 लाख तक	:	1000/- रुपये
150 लाख से 400 लाख तक	:	2000/- रुपये
14. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रु. तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु. की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में देय होगी। यह डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चेक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।
15. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि शामिल है।
16. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात् पाँच वर्ष तक रहेगा।
17. ई-टेंडरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश
 - अ. इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" से डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।
 - ब. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट - 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - स. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
 - द. ऑन लाइन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेंगी।
 - य. इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
 - र. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
 - ल. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन दर्ज करें।


 मुख्य अभियंता,
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
 जयपुर।